संचिका सं0–7/MCH-35-14/2025-......99 (78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 20/02/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 4,60,62,000/– (रूपये चार करोड़ साठ लाख बासठ हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय सकल्प संख्या–1017(1), दिनांक–28.08.2017 एवं संकल्प सख्या–877(1), दिनांक–27.09.2022 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पूर्णियॉ मे इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओ के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 4,60,62,000/– (रूपये चार करोड साठ लाख बासठ हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0028–राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियॉ विपत्र कोड–20-2210-01-110-0028 अंतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद मे पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पूर्णियॉ होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णियॉ प्रमडल, पूर्णियॉ होगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबधित छात्रो को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णियॉ से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनाक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7/MCH-35-14/2025 के पृष्ठ–20/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

20.2.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 7/MCH -35-14/2025-......99(78)....... /स्वा0, पटना, दिनांकः– 20/02/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव